मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915

[क्र. 2 सन 1915]

विषय-सूची

धारायें

अध्याय 1- प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ |
2. परिभाषायें |
3. [x x x] विलुप्त |
4. क्रमशः कौन सी मदिरा "देशी मदिरा" और "विदेशी मदिरा" समझी जायेगी यह घोषित करने की शक्ति |
5. फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा |
6. अधिनियम की व्यावृति |

अध्याय 2- स्थापना तथा नियंत्रण

7. स्थापना तथा उसकी शक्तियाँ |

7-क. उडनदस्तों की स्थापना |

अध्याय 3- आयात, निर्यात और परिवहन

8. आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति |
9. आयात, निर्यात या परिवहन पर निर्बन्धन |
10. आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास की अपेक्षा |
11. आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास |
12. अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये पास इस अधिनियम के अधीन प्रदान किये गये पास समझे जायेगें |

अध्याय 4- विनिर्माण, कब्ज़ा तथा विक्रय

13. मादक द्रव्यों के विनिर्माण इत्यादि के लिये अपेक्षित अनुज्ञप्ति |
14. आसवनियों तथा भंडागारों की स्थापना या उनका अनुज्ञापन |
15. आसवानी, मघ निर्माणशाला या संग्रहण के स्थान से हटाये जाने पर शुल्क का संदाय |
16. मादक द्रव्यों का साधारणत: कब्ज़ा |
17. मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी |
18. विनिर्माण, इत्यादि के अधिकार के पट्टे का अनुदान करने की शक्ति |
19. ताड़ी निकालने हेतु पट्टेदार की अनुज्ञा |
20. सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय |
21. माप तथा परीक्षण के बारे में अनुज्ञप्ति धारियों के कर्तव्य |
22. इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध |

23. इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध |
23-क. मदिरा से सम्बन्धित विज्ञापनों का प्रतिषेध |
24. लोक शांति के लिये दुकानों का बंद किया जाना |

अध्याय 5- शुल्क तथा फीस

25. आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क |
26. ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण की रीति |
27. पट्टा अनुदान के लिये संदाय |
27-क. संविधान के प्रारम्भ होने पर उत्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्कों के लिये व्यावृति |

अध्याय 6- अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास

28. अनुज्ञप्ति, आदि के प्ररूप और शर्ते |
29. अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति |
30. तकनीकी त्रुटियाँ, अनियमितताएं तथा लोप |
31. अनुज्ञप्ति, आदि रद्द या निलंबित करने की शक्ति |
32. अनुज्ञप्ति वापस लिये जाने की शक्ति |
33. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण |
33-क (XX - XX) विलुप्त

अध्याय 7- अपराध और शस्तियाँ

34. अवैध आयात, आदि के लिये शास्ति |
35. किसी (विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित) को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिये शास्ति |
36. अवैध कब्जे के लिये शास्ति |
36-क. किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोलने रखने या उपयोग में का, के लिये या किसी भी ऐसे स्थान की देख -रेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिये या ऐसे किसी स्थान के कार-बार का संचालन करने में सहायता करने के लिये शास्ति |
36-ख. किसी सामान्य मदिरा पान-गृह में मत्त पाये जाने के लिये या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाये जाने के लिये शास्ति |
36-ग. किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो धारा 3 मै, धारा 35 धारा 36 या धारा 36-क के अधीन दण्डनीय है, किये जाने हेतु उपयोग में लाये जाने देने के लिये शास्ति |
36.घ. धारा **34** या धारा **36** के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिये बंधपत्र का निष्पादन |
36-ड़. मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये अपेक्षित करना कि सद्व्यवहार के बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिये उसे क्यों न आदिष्ट किया जाये
37. उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबंध नहीं है ।
38. अनुज्ञप्त विक्रताओं के कतिपय विधि विरुध्द कार्यों के लिए शास्ति |
38-क. मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संघटक या कोई मंदक या रंजक पदार्थों मिश्रित करने देने के लिये शास्ति |

39. अनुज्ञप्तिधारियों, आदि द्वारा अवचार किया जाने के लिये शास्ति |
40. रसायन (केमिस्ट) आदि की दुकान में उपयोग करने की अनुज्ञा देने के लिये शास्ति |
40.क. अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना या उस पर हमला करने के लिये दण्ड |
41. किसी अन्य व्यक्ति के मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा
42. अपराध करने का प्रयत्न और अपराध का दुष्प्रेरण
43. कतिपय मामलों में अपराध किये जाने के बारे में उपधारणा |
44. **सेवकों** के कार्य के लिए अनुज्ञप्तधारी का आपराधिक दायित्व |
45. पूर्व दोषसिध्दि के पश्चात बंधित दण्ड |
46. कतिपय वस्तुओं के अधिहरण का दायित्व |
47. अधिहरण का आदेश |
48. अपराधों के शमन करने की शक्ति |
49. तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों पर शास्ति |

अध्याय 7-क - जीवन के विरूद्ध अपराधों के लिये शास्ति

49-क. मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दण्ड |
49-ख. इस धारा के अधीन अपराधों के लिए जमानत मंजूर नहीं की जाएगी |

अध्याय 8- अपराधों का पता लगाना , अन्वेषण तथा विचारण

50. भू-धारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इत्तिला का दिया जाना |
51. विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति |
52. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने, अधिहरण के लिये दायी वस्तु का अभिग्रहण करने तथा तलाशी लेने की शक्ति |
53. वारंट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति |
54. वारंट बिना तलाशी लेने की शक्ति |
54.-क. बाधा पहुँचाने का हमला करने के लिये वारंट के बिना गिरफ्तारी |
55. अन्वेषण के विषयों में आबकारी अधिकारियों की शक्ति |
55-क अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट ।
56. आबकारी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट |
56-क. पुलिस अभिग्रहीत वस्तुओं को प्रभार में लेगी |
57. गिरफ्तारियाँ, तलाशियाँ आदि किस प्रकार की जायेगीं |
58. वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में उपसंजाति के लिये प्रतिभूति |
59 [विलुप्त] |
60. अभियोजनाओं का निब्रन्धन |
61. राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त व्यक्ति को क्षमादान |

अध्याय 9- प्रकीर्ण

62. नियम बनाने की शक्ति |

63. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन |
64. सहकारी शोध्यों की वसूली |
65. व्यतिक्रमियों की सम्पत्ति पर सरकार का धारणाधिकार |
66. व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को अधिनियम के उपलब्ध से छूट देने की शक्ति |
67. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण |
68. वादों की परिसीमा |
69. अधिनियमितियों का निरसन |

- प्रथम अनुसूची |
- दिव्तीय अनुसूची |

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915

[क्रमांक 2 सन् 1915]

(मध्य प्रदेश) में आबकारी विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम |

प्रस्तावना - यत: यह समीचीन है कि (मध्य प्रदेश) में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय और कब्जे से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाए, और यत: इस अधिनियम को पारित किए जाने हेतु इंडियन कौन्सिल ऐक्ट, 1892 (55 तथा 56 विकटों, सी -14), की धाराओं के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त कर ली गई है एतद्द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया

अध्याय 1- प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम (मध्य प्रदेश) अधिनियम आबकारी, 1915 है

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रवृत होगा

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में जब विषय या सन्दर्भ में कोई बात इसके विरुद्ध न हो -

(1) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोट्र तथा ऐसी अन्य समस्त किण्वत मदिराये सम्मिलित है जो साधारणतया माल्ट से बनी है ;

(2) "बोतल भरना" से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजन के लिये मदिरा को मंजूषा या अन्य बर्तन, घड़े, कुप्पी या अन्य समरूप पात्र में अन्तरित करना और बोतल भरने के अंतर्गत है बोतल का पुनः भरा जाना ;

(3) "मुख्य राजस्व प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मुख्य राजस्व प्राधिकारी घोषित किया गया हो ;

(4) "सामान्य मदिरा पान गृह" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ मदिरा पान, ऐसे स्थान का स्वामित्व रखने वाले या उपयोग करने वाले या उसे रखने वाले या उसकी देखभाल या उसका प्रबन्ध या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति के लाभ या प्राप्ति के लिये अनुज्ञात किया गया है चाहे वह उस स्थान के उपयोग के लिये प्रभार के रूप में है या पान की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये है या अन्यथा किसी भी रूप में है ;

(5) "विकृत" से अभिप्रेत है मानवीय उपयोग के लिये ऐसी रीति से अयोग्य किया जाना जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाये ;

(6) **"**आबकारी**"** शुल्क वस्तु**"** से अभिप्रेत है-

(क) **"**मानवीय उपयोग के लिये कोई भी अलकोहलीय मदिरा ; या

(ख) कोई भी मादक ओषधि ; [1] (या)

[2] **[**(ग) मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, **1985** (**1985** का सं. **61**) की धारा **2** के खण्ड (पन्द्रह) में यथा परिभाषित अफीम और उसके खण्ड (अटठारह) में परिभाषित पापी स्ट्रा);

(**6-**क) **"**आबकारी शुल्क**"** तथा **"**प्रतिशुल्क**"** से अभिप्रेत है यथास्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि **51** में वर्णित है ;

(7) **"**आबकारी शुल्क**"** से अभिप्रेत है कलेक्टर या कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो धारा **7** के अधीन नियुक्त है या जिसमें उक्त धारा के अधीन शक्तियाँ विनिहित है ;

[3] [**(8)** **"**आबकारी राजस्व**"** से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम के मदिरा अथवा मादक ओषधियाँ के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित किये गये, आदेशित किये गये या तय पाये गये [4] [किसी शुल्क, फीस, कर, शास्ति, संदाय] (किसी न्यायलय द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्माने को छोड़कर) या अधिहरण से व्युत्पन्न होता हो या व्युत्पन्न होता हो या व्युत्पन्न होने योग्य हो;]

(9) "निर्यात" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा - शुल्क सीमान्त के आर - पार से न होकर अन्यथा 5 [राज्य]

(10) विलोपित

(11) **"**आयात**"** (अभियक्ति भारत में आयात को छोड़कर) से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा-शुल्क सीमान्त के आर - पार से न होकर अन्यथा **5 [** राज्य] के भीतर लाना;

(11- क) **"**मादक-द्रव्य**"** से अभिप्रेत है कोई भी मदिरा या औषधि:

(12) **"**मादक औषधि**"** से अभिप्रेत है -

(एक) भारतीय भांग पोधे (केनाबिस सेटाइवा एल) की पत्तियों छोटे डंठलों और फूलों तथा फलने वाले सिरे और उसके अंतर्गत भांग, सींधी या गांजा के नाम से ज्ञात उसके समस्त रूप;

[1][(दो) ... ...

(तीन) निष्प्रभावी पदार्थ सहित या रहित मादक औषधि के उपर्युक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय; और

2[(चार) कोई ऐसी अन्य मादक या स्वापक वस्तु, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, जो नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सब्सटेंसेस एक्ट, **1985** (**1985** का संख्या **61**) में यथा परिभाषित स्वापक औषधि न हो] |

(13) **"मदिरा"** से अभिप्रेत है मादक मदिरा और मादक मदिरा और उसके अंतर्गत है मद्यसार (स्पिरिट आफ वाइन),स्पिरिट**,** मद्य, ताडी, बियर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अलकोहल से बने है जिनमें अलकोहल है, और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मदिरा घोषित करे;

(14) **"विनिर्माण"** के अंतर्गत है ऐसी प्रत्येक प्रकिया चाहे वह नैसर्गिक है या कृत्रिम, जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया गया जाता है और पुनः आसवनी करने तथा मदिरा को परिशुध्द, सुवासित, सम्मिश्रित या रंजित करने की प्रत्येक प्रक्रिया भी उसके अंतर्गत आती है;

(15) **"स्थान"** के अंतर्गत है गृह, भवन, दुकान, बूथ, टेंण्ड, अहाता, स्थल, जलयान, बेड़ा और यान ;

(16) **"विक्रय"** को निर्दिष्ट करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत है दान के रूप में न होकर अन्यथा किया गया कोई अन्तरण;

(17) **"स्पिरिट"** से अभिप्रेत है कोई भी अल्कोहलयुक्त मदिरा जो आसवन द्वारा अभिप्राप्त होती है या नहीं है;

(18) **"ताड़ी"** से अभिप्रेत है किसी भी जाति के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया किण्वित: या अकिण्वित रस;

(19) **"परिवहन"** से अभिप्रेत है (राज्य) के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना |

3. X X X X X X X X X **(**विलुप्त) |

4. **क्रमशः कौन सी मदिरा "देशी मदिरा" और "विदेशी मदिरा" समझी जाएगी यह घोषित करने की शक्ति** - राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए कौन सी मदिरा क्रमशः **"**देशी मदिरा**"** और **"**विदेशी मदिरा**"** समझी जायेगी |

5. फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा - (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, या तो सम्पूर्ण **1**[राज्य] या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा साधारणतया क्रेताओं या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के क्रेताओं के सम्बन्ध में और या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अवसर के सम्बन्ध में यह घोषित परिणाम से अधिक किसी भी परिणाम में विक्रय समझा जायेगा |

6. अधिनियम की व्यावृत्ति- इस अधिनियम की कोई भी बात सागर सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं० 8) या इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 (1894 का सं. 8) (उसकी धारा 6 छोड़कर) या केन्टूमेन्ट ऐक्ट, 1910 (1910 का सं० 15) या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या आदेश को प्रभावित नहीं करेगी ।

अध्याय 2- स्थापना तथा नियंत्रण

7. स्थापना तथा उसकी शक्तियां-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण (राज्य) या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए-

(क) एक अधिकारी, जो इसमें इसके पश्चात् आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट है, नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे नियंत्रण (यदि कोई है) के अध्यधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, आबकारी विभाग के प्रशासन और आबकारी राजस्व के संग्रहण का अधीक्षण करेगा;

(ख) कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियों का या उस पर अधिरोपित समस्त या किन्हीं कर्त्तव्यों का या तो कलेक्टर के साथ-साथ या उसके अधीन रह कर या अनन्यत: प्रयोग तथा पालन ऐसे नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करने के लिये नियुक्त कर सकेगी जैसा राज्य सरकार निर्देश दे;

(ग) आबकारी विभाग के ऐसे वर्गो के अधिकारियों को और ऐसे पदाभिदानों, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ नियुक्त कर सकेगी, जैसा राज्य सरकार उचित समझे;

(घ) यह आदेशित कर सकेगी कि खण्ड ग) के अधीन नियुक्त किये गये किसी अधि- कारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित समस्त या किन्हीं शक्तियाँ और कर्तव्यों का किसी भी सरकारी सेवक या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग तथा पालन किया जायेगा ।

(ड.) मुख्य राजस्व प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को, सिवाय धारा 62 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के प्रत्यायोजित कर सकेगी;

(च) किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त किन्हीं भी शक्तियों को प्रत्याहुत कर सकेगी; और

(छ) मुख्य राजस्व प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या अधिरोपित कर्त्तव्यों का या आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई या निवर्हन की गई शक्तियों या कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन करना अनुज्ञात कर सकेगी ।

7-क. उडनदस्तों की स्थापना - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी भी मामले का या इस अधिनियम के या अ उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिये उडनदस्तों की स्थापना कर सकेगी और उस अधिसूचना में उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर कि उड़नदस्ता अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित किये गये उड़नदस्ते में आबकारी अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर, उसके लिये नियुक्त करे, सम्मिलित होंगे ।

(3) उड़नदस्ते के लिए नियुक्त किये गये आबकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो कि धारा 7 के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित किये जाएँ/की जाएँ ।

अध्याय 3- आयात, निर्यात और पहिचान

8. आयात, निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा

[1][(क) (राज्य) भर में या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी भी मादक द्रव्य के आयात - निर्यात का प्रतिषेध कर सकेगी;

(ख) किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकेगी;

[2][(ग) महुआ [3][बेसिया लेतिफोलियो और बेसिया लोंगिफोलिया] या कोई अन्य आधार, जो मदिरा के विनिर्माण के लिए

उपयोगी है या जो उपयोगी हो सकता है, के प्रभावी नियंत्रण के लिये यथोचित उपलब्ध कर सकेगी ।

9. आयात, निर्यात या परिवहन पर निर्बन्धन-राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी मादक-द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा-

(क) ऐसे किसी भी शुल्क का, जिसके लिए वह अधिनियम के अधीन दायी है, संदाय करने के पश्चात् या ऐसे संदाय के लिये बन्धपत्र निष्पादित करने के पश्चात्; और

(ख) ऐसी शर्तो का अनुपालन किये जाने पर जो राज्य सरकार अधिरोपित करे ।

10. आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास की अपेक्षा-किसी भी मादक द्रव्य का ऐसे परिमाप से अधिक परिमाप में, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, या तो सामान्यत: या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र

के लिये विहित करे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये या जारी किये गये समझे गये पास पर ही आयात, निर्यात या परिवहन किया जायेगा अन्यथा नहीं:

परन्तु शुल्क संदाय विदेशी मदिरा के मामले में ऐसे पास से अभियुक्ति रहेगी जब तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्यथा निर्देशित करे ।

11. आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास-(1) मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास कलेक्टर द्वारा प्रदान किये जा सकेंगे :

परन्तु ऐसे मादक द्रव्यों के, जो आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें, आयात और निर्यात के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा ही पास प्रदान किये जायेंगे ।

(2) ऐसे पास या तो निश्चित कालावधि के लिये और मादक द्रव्यों की किस्मों के लिये सामान्य हो सकेंगे या विनिर्दिष्ट अवसरों और केवल विशिष्ट परेषणों के लिये विशेष हो सकेंगे ।

12. अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये पास इस अधिनियम के अधीन प्रदान किये गये समझे जायेंगे -आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो (यदि कोई है) के अध्यधीन रहते हुये जैसी वह अधिरोपित करे, यह निदेश दे सकेगा कि भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिये पास समझा जायगा ।

अध्याय - 4 विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय

13. मादक द्रव्यों के विनिर्माण इत्यादि के लिये अपेक्षित अनुज्ञप्ति --प्राधिकार के अधीन तथा उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन के सिवाय-

(क) कोई भी मादक द्रव्य विनिर्मित या संगृहित नहीं किया जायेगा;

(ख) भांग के किसी पौधे हेम्प प्लान की खेती नहीं की जायेगी;

(ग) किसी भी ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष से ताड़ी का न तो चावन किया जायेगा और न ही किसी वृक्ष से ताड़ी निकाली जायेगी;

(घ) कोई भी मदिरा विक्रय के लिये बोतलों में नहीं भरी जायेगी;

(ड़) किसी भी आसवनी या मद्य निर्माणशाला का न तो सन्निर्माण किया जायेगा और न ही उसे चलाया जायेगा;

(च) कोई भी व्यक्ति, ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिये किन्ही सामग्रियों का, किसी भभके, पात्र, उपकरण या साधित्र का न तो उपयोग करेगा और न ही उसे अपने पास या अपने कब्जे में रखेगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, जैसी वह विहित करे, ऐसे क्षेत्रों में, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाएँ ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों का च्यावन किये जाने या ताड़ी निकाले जाने को लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, जैसी वह विहित करे, ऐसे क्षेत्रों में, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें, घरेलू उपयोग के लिये मदिरा के विनिर्माण किये जाने को (.....) लागू होंगे ।

14. आसवनियों तथा भाण्डागारों की स्थापना या उनका अनुज्ञापन-आबकारी आयुक्त-

(क) ऐसी शतों पर, जैसी राज्य सरकार अधिरोपित करे, धारा 13 के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन किसी ऐसी आसवनी को स्थापित कर सकेगा जिसमें विनिर्मित की जा सकती है;

(ख) किसी भी ऐसी आसवनी को बन्द कर सकेगा;

(ग) ऐसी शर्तो पर, जैसी राज्य सरकार अधिरोपित करे, आसवनी या मद्यनिर्माण- शाला का सन्निर्माण करने या उसे चलाये जाने की अनुज्ञप्ति दे सकेगा;

(घ) किसी भाण्डागार की स्थापना कर सकेगा या उसके लिये अनुज्ञप्ति दे सकेगा, जिसमें किसी मादक द्रव्य को शुल्क के संदाय के बिना किन्तु ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन, जैसी राज्य सरकार निर्देशित करे, निक्षिप्त किया जा सकेगा और रखा जा सकेगा; और

(ड़) किसी ऐसे भाण्डागार को बन्द कर सकेगा ।

15. आसवनी, मद्य निर्माणशाला या संग्रहण के स्थान से हटाये जाने पर शुल्क का संदाय - राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी मादक द्रव्य को इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी आसवनी, मद्य निर्माणशाला, भाण्डागार, या संग्रहण के अन्य स्थान से तब तक हटाया नहीं जायेगा, जब तक अध्याय । 5 के अधीन देय शुल्क (यदि कोई है) संदत्त न कर दिया जाये या उसके संदाय के लिये एक बन्धपत्र निष्पादित न कर दिया जाये ।

(16) मादक द्रव्यों का साधारणत: कब्जा-- 1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिये परिमाण की परिसीमा विहित कर सकेगी :

परन्तु उसी वस्तु की भिन्न-भिन्न क्वालिटी के लिये भिन्न-भिन्न परिसीमायें विहित की जा सकेंगी ।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक किसी भी परिमाप के किसी मादक द्रव्य को निम्नलिखित के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निबन्धनों और शर्तों के अनुसार अपने कब्जे में रख सकेगा अन्यथा नहीं-

(क) ऐसे मादक द्रव्य के विनिर्माण, खेती, संग्रहण, विक्रय या प्रदाय के लिये अनुज्ञप्ति; या
(ख) ऐसे मादक द्रव्य के आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास; या
(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रदान किये गये अनुज्ञा-पत ।

(3) उपधारा (2) किसी भी ऐसी विदेशी मदिरा को लागू नहीं होगी-

(क) जो किसी सामान्य वाहक या भाण्डागारपाल जैसी भी दशा हो, के कब्जे में है ।
[... ... ...]
(ख) [... ... ...]

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ठ किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार अधिसूचना दारा, चाहे (राज्य) में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किसी मादक गन्त्र को कब्जे में रखे जाने का प्रतिषेध पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुये कर सकेगी जैसी वह विहित करे ।

17. मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी- (1) किसी भी मादक का विक्रय उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार और निबन्धों तथा शर्तों के अध्यधीन ही किया जायेगा अन्यथा नहीं: परन्तु -

(क) किसी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, ऐसी ताड़ी, अनुज्ञप्ति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्त है;
(ख) भांग के पौधे दृश्य प्लाट की खेती करने के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति, पौधे के उन भागों का, जिनमें मादक औषधि का विनिर्माण किया जाता है, या उसका उत्पादन किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन उनका व्यापार करने के लिये अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को, या किसी भी ऐसे अधिकारी को, जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा; और

(ग) धारा में की कोई भी बात किसी भी विदेशी मदिरा के विक्रय को लागू नहीं होगी, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्राइवेट उपयोग के लिये विधिपूर्वक उपाप्त की गई है और उसके द्वारा उसका विक्रय किया गया है या उसके द्वारा किसी स्थान को छोड़ने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात्

उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधियों की ओर से उसका विक्रय किया गया है ।

(2) ऐसी शर्तों पर, जैसी आबकारी आयुक्त अवधारित करे, अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत आबकारी विधि के अधीन विक्रय की कोई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति समझी जायेगी।

18. विनिर्माण, इत्यादि के अधिकार के पट्टे का अनुदान करने की शक्ति- 1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिए, जैसी वह उचित समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी [. . . . .] मदिरा या मादक औषधि का-

(क) विनिर्माण करने का, या थोक में प्रदाय करने या दोनों का, या

(ख) थोक या फुटकर में विक्रय करने का; या

(ग) विनिर्माण करने का या थोक में प्रदाय करने का या दोनों का तथा फुटकर में विक्रय करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी ।

(2.) अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के निर्बन्धनों के अनुसार कोई अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा और जब अनुज्ञप्ति में कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो उप-पट्टे पर देने का प्रतिषेध करती है तब ऐसे पट्टेदार के आवेदन पर, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उप-पट्टेदार को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा 1

19. ताड़ी निकालने हेतु पट्टेदार की अनुज्ञा-जहाँ धारा 18 के अधीन ताड़ी के विनिर्माण के अधिकार का पट्टा दिया गया है, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि पट्टेदार की ताड़ी निकालने की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो उस प्रयोजन के लिये कलेक्टर की अनुज्ञप्ति का होता है।

20. सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय-किसी भी सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर तथा उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर, जैसा केन्द्र सरकार किसी मामले में विहित करे मदिरा के फुटकर विक्रय के लिये कोई भी अनुज्ञप्ति कमान अधिकारी की जानकारी तथा सम्मति से ही प्रदान की जायेगी अन्यथा नहीं ।

21.माप तथा परीक्षण के बारे में अनुज्ञप्तिधारियों के कर्त्तव्य-इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण या विक्रय करता है-

इस बात के लिये आबद्ध होगा कि--

(क) वह स्वयं के ऐसे माप, तौल और उपकरणों की व्यवस्था कर ले जैसा आबकारी करे और उन्हें अनुज्ञप्त परिसरों पर अच्छी दशा में रखे; और

(ख) उस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर किसी भी समय अपने कब्जे में के किन्हीं भी मादक द्रव्यों का, ऐसी रीति में जैसा उक्त आबकारी

अधिकारी अपेक्षित करे माप, तौल या परीक्षण करे ।

[1][**22.इक्कीस वर्ष कम आयु के पुरषों और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध**-कोई भी व्यक्ति, जो मादक द्रव्यों का अपने परिसरों में उपयोग किया जाने के लिये, विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्त है, उन घण्टों के दौरान, जिनमें ऐसा परिसर कारबार के लिये खुला रहता है ।

किसी पुरुष को जिसकी आयु, इक्कीस वर्ष से कम हो, या किसी स्त्री को, या तो पारिश्रमिक पर या पारिश्रमिक के बिना ऐसे परिसर के किसी ऐसे भाग में जिसमें लोगों द्वौरा ऐसे मादक द्रव्य का उपभोग किया जाता है, नियोजित नहीं करेगा, या नियोजित किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

23. इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध-कोई भी व्यक्ति, जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्ति है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी आयु प्रकट रूप से इक्कीस वर्ष से कम हो, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किये जाने के लिये या चाहे ऐसे विक्रेता के परिसर में या उसके बाहर दू उपयोग के लिये, किसी मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेगा और न उसे उसका परिदान करेगा ।]

[1][**23-क. मदिरा से सम्बन्धित विज्ञापनों का प्रतिषेध**-(1) इस धारा में, 'विज्ञापन में सम्मिलित है-

(ए) कोई सूचना, परिपत्न, नामपत्र, आवेष्टन (रेपर) या कोई अन्य दस्तावेज;

(बी) कोई ऐसा आख्यापन जो मौलिक रूप से किया गया हो या प्रकाश ध्वनि या धूम्र उत्पादित करने या पारेषित करने के किसी साधन द्वारा किया गया है;

(सी) कोई प्रदर्शन जो मध्य प्रदेश सिनेमाज (रेग्यूलेशन) ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन अनुज्ञप्त किसी सिनेमा में या मनोरंजन के किसी अन्य स्थान में पर्दे पर प्रदर्शित सृपचित्र (स्लाइड) या फिल्म के द्वारा किया गया हो।

(2) जो कोई किसी समाचार पत्र, पुस्तक पर्णिका पुस्तिका या किसी एकल या नियतकालिक प्रकाशन में कोई ऐसा विज्ञापन या कोई ऐसी अन्य सामग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो, या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो या जिससे कि किसी मदिरा की प्रसंशा की जाना उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया जाना तात्पर्यित हो, मुद्रित या प्रकाशित करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित करवायेगा या अन्यथा संप्रदर्शित या वितरित करेगा अथवा संप्रदर्शित या वितरित करवायेगा, अथवा संप्रदर्शित या वितरित की जाने देगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंन्धित किये गये के सिवाय उपधारा (2) में की कोई भी बात-

(ए) ऐसे सूची पत्रों या, ऐसी मूल्य सूचियों को, जिन्हें कि मध्य प्रदेश में के मदिरा विक्रय स्थानों में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संप्रदर्शित किया जाना हो;

(बी) किसी ऐसे विज्ञापन या या किसी ऐसी अन्य सामग्री को, जो मध्य प्रदेश के बाहर मुद्रित तथा प्रकाशित किसी समाचार पत्र, पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन में अन्तर्विष्ट है;

(सी) किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी अन्य सामग्री को, जो कि किसी ऐसे समाचार पात्र में अन्तर्विष्ट है जिसे मध्य प्रदेश में ऐसी तारीख के पूर्व, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया हो; और

(डी) किसी ऐसे अन्य विज्ञापन या किसी ऐसे अन्य सामग्री को; जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रवर्तन से साधारणत: या विशेषत: छूट दे; लागू नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी सामग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो या जिससे कि किसी मदिरा की प्रशंसा की जाना उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया जाना तात्पर्यित हो, से युक्त किसी ऐसे समाचार पव, पुस्तक, पर्णिका,पुस्तिका या अन्य प्रकाशन के, जिसे कि राज्य के बाहर मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया हो, परिचालन वितरण या विक्रय का अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर प्रतिषेध कर सकेगी; और जो कोई ररेसे समाचार पत्र पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन को ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन में परिचालित करेगा, वितरित करेगा या बेचेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से; जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(5) जब राज्य सरकार को किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन) जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो के बारे में ऐसा प्रतीत हो कि उसमें कोई ऐसा विज्ञापन या कोई ऐसी सामग्री, जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव दिया गया हो, अन्तर्विष्ट है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति तथा ऐसी पुस्तक पर्णिका, पुस्तिका या ऐसे अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकेगी कि वह राज्य सरकार को समपहत हो जायेमी, और तदुपरि कोई आबकारी अधिकारी, पुलिस या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया कोई अन्य व्यक्ति उसे, चाहे वह मध्य प्रदेश में कहीं भी पाई जाए, अभिगृहीत कर सकेगा, तथा कोई कलेक्टर या प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी, उप- निरीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को वारण्ट द्वारा, इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे परिसर में जहाँ ऐसे अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या ऐसा कोई अन्य प्रकाशन मौजूद

हो या उसके मौजूद होने का युक्ति-युक्त संदेह हो, प्रवेश करे और उसके लिए तलाशी ले ।

24. लोक शान्ति के लिए दुकानों का बन्द किया जाना-- 1) जिला मजिस्ट्रेट. लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी ऐसी दुकान, जिसमें किसी मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता है, ऐसे समयों पर या ऐसी कालावधि के लिये बन्द रखी जाएँ जिसे वह लोक शान्ति बनाए रखने के लिये आवश्यक समझे ।

(2) यदि किसी दुकान के आसपास कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव होता है या होने की अंशंका है, तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी दूकान ऐसी कालावधि के लिये बन्द रखी जाये जिसे वह आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि, जब भी कोई बलवा या ऐसा कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है, तब मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में ऐसा अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी आदेश के बिना भी अपनी : दुकान बन्द कर देगा ।

(2) जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश जारी करे, तो वह इस सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही तथा उसके लिये अपने कारणों की सूचना कलेक्टर को तत्काल देगा ।

अध्याय -5 शुल्क तथा फीस

25. **आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क**--(1) यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 195 इग्) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियां से भिन्न आबकारी-शुल्क-योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहीत किया जाएगा-

(ए) जिनका आयात किया गया हो; या

(बी) जिनका निर्यात किया गया हो; या

(सी) जिनका परिवहन किया गया हो;

(डी) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विर्निमित की गई हों, खेती में उपजाई गई हों अथवा संग्रहीत की गई हों; या

(ई) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधि- नियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाला में विर्निमित की गई हों:

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह आबकारी-शुल्क-योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिए कि वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो, छूट दे]।

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण-

(एक) उस स्थान के, जहाँ किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है; या (दो) आबकारी शुल्क योग्य वस्तु की शक्ति और उसकी क्वालिटी के; या

(तीन) आबकारी-शुल्क-योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग के; या

[2][(चार) ऐसे सिद्धान्तों पर जो कि विहित किये जाएँ, आधारित आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के अनुसार विभिन्न दरों से किया जा सकेगा । [.....मूल्य के]।

(3) उपधारा (1) में अन्तविर्ष्ट किसी बात के होते हुये भी-

(एक) किसी भी ऐसी वस्तु पर उसके अधीन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा जो सागर-सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं० 8) या इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 (1894 का सं० 8) के अधीन भारत में आयात की गई है तथा ऐसे आयात किये जाने पर जो शुल्क के दायित्वाधीन थी;

[4][... ... ...]

[5][(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुल्क की दरों में वृद्धि करने या उनमें कमी करने से राज्य सरकार को प्रवारित करती है और शुल्क की दर में वृद्धि करने या उसमें कमी करने की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी वृद्धि या कमी को किसी -ऐसी तारीख से, जो उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आयेगी

26. ऐसे शुल्क के उदग्रहण की रीति- समय, स्थान और रीति, को विनियमित करने -ट्राई यमों के अध्यधीन रहते हुये जो राज्य सरकार विहित करे, आयातित, निर्यातित, परिवहन की गयी, संगृहीत या किसी आसवनी, मद्यनिर्माण शाला या भाण्डागार में से विनिर्मित या उसमें से निर्गमित आबकारी शुल्क वस्तु के परिमाण पर ऐसा शुल्क अनुपातित रूप से उद्ग्रहीत किया जायेगा -

परन्तु-

(1) शुल्क-

(क) मादक औषधियों पर भांग के पौधे (हेम्प प्लाण्ट) को खेती पर प्रति एकड़ की दर से या संग्रहीत परिमाण पर प्रभारित किसी दर से;

(ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी या अनुज्ञप्त किसी आसवनी या मद्यनिर्माण शाला में विनिर्मित स्पिरिट या बीयर पर-

(एक) उपयोग में लायी गयी सामग्रियों के परिमाण पर संगणित समतुल्यों के ऐसे मान के

अनुसार, या यथास्थिति, वाश या वर्ट की क्षीणता की मात्रा के अनुसार, जैसा राज्य सरकार विहित करे; या

(दो) उपयोग में लायी गयी सामग्रियों पर प्रत्यक्षत: प्रभारित किसी दर से;

(ग) ताड़ी पर, प्रत्येक ऐसे वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाये, कर द्वारा; उद्ग्रहीत किया जा सकेगा ।

(2) जहाँ किसी भाण्डागार से विक्रय के लिये कोई आबकारी शुल्क वस्तु निर्गमित किये जाने पर संदाय किया जाता है वहां वह ऐसी वस्तु भाण्डागार से निर्गमित की जाने की तारीख को प्रवृत्त शुल्क की दर से होगा ।

[1][(3) जहाँ भाण्डागार से आबकरी शुल्क योग्य एसा-बिल वस्तु के निर्गमन पर शुल्क का संदाय कर दिये जाने के पश्चात् शुल्क की दर में वृद्धि या कमी की जाती है, और आबकारी शुल्क योग्य वस्तु किसी अनुज्ञप्ति धारक के पास स्टाक में है, वहां स्टाक में की आबकारी शुल्क योग्य वस्तु इस प्रकार बढ़ाई गई या कम की गई दर से शुल्क के उद्ग्रहण के अध्यधीन होगी और शुल्क के अंतर की रकम उस अनुज्ञप्ति धारक , जिसके पास ऐसी आबकारी शुल्क योग्य तात्विक समय पर स्टाक में है, द्वारा या उसको संदेय या प्रतिदेय होगी जैसी भी कि दशा हो ।]

27.पट्टा अनुदान के लिये संदाय- [1][(1) इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त राज्य सरकार धारा 18 के अधीन किसी पट्टा अनुदान के प्रतिफल स्वरूप किसी भी रकम का संदाय प्रतिगृहीत कर सकेगी ।

[2][(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य सरकार को धारा 18 के अधीन किसी पट्टा अनुदान के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त किसी राशि में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान वृद्धि या कमी करने से प्रवारित करती है और राशि में वृद्धि या कमी करने की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी वृद्धि या कमी को किसी ऐसी तारीख से, जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है ।]

27- क. सविंधान के प्रारम्भ होने पर उद्ग्रहीत किये जाने शुल्कों के लिये व्यावृत्ति- (1) जब तक संसद द्वारा प्रतिकूल उपबन्ध न किये जायें तब तक राज्य सरकार किसी भी ऐसे शुल्क का, जिसको यह धारा लायु होती है, और जिसका वह संविधान प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विधिपूर्वक उद्ग्रहण करती थी तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहण जारी रख सकेगी ।

(2) वे शुल्क, जिन्हें वह धारा लागू होती है, निम्नलिखित है-

1. म० प्र० अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1988 द्वारा पुनर्कमांकित ।

2. उपरोक्तानुसार अन्तःस्थापित । यह मूलत: हिन्दी में पारित है । यह संशोधन 1 सितम्बर, 1987 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

(क) उन मादक द्रव्यों पर, जो इस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत आबकारी शुल्क वस्तुयें नहीं है, कोई भी शुल्क;

(ख) किसी आबकारी शुल्क्य वस्तु पर, भारत के बाहर उत्पादित की जाती हो और खिसका आयात ' (राज्य में किया जाता है, चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमाशुल्क कस्टमर) सीमान्त से बाहर होता है या नहीं, कोई भी शुल्क;

[2][(ग) x x x x x x x x x [विलुप्त]

[3] [(3) इस धारा में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा किसी भी ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण को प्राधिकृत नहीं करती है जिससे (राज्य) में विनिर्मित या उत्पादित माल तथा इस प्रकार बिनिर्मित या उत्पादित न किये गये समान माल में से पूर्ववर्ती माल के पक्ष में विभेद होता है था जिससे (राज्य) के बाहर विनिर्मित या उत्पादित माल की दशा में एक परिक्षेत्र में विनिर्मित या उत्पादित समान माल के बीच विभेद होता है ।

अध्याय-6 अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास

28. अनुज्ञप्ति, आदि के प्ररूप और शर्ते-इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास-

(क) (एक) ऐसी फीस के (यदि कोई है) संदाय किए जाने पर;
(दो) ऐसी कालावधि के लिए
(तीन) ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन तथा ऐसी शर्तों पर मंजूर किये जायेंगे; और

(ख) ऐसे प्ररूप में होगा और उसमे ऐसी विशिष्टियाँ अन्तविर्ष्ट होगी:

जैसा राज्य सरकार धारा 62 के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा या तो साधारणतः या किसी विशिष्ट उदाहरण में निर्देशित करे |

29. अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति- इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला कोई भी प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति के तात्पर्य से अनुरूपता रखता हुआ एक प्रतिलेख-करार निष्पादित करे और ऐसे करार के पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति दे, या ऐसा निक्षेप करे या दोनों की व्यवस्था करे, जैसा कि प्राधिकारी उचित समझे |]

30. तकनीकी त्रुटियाँ, अनियमितताएँ तथा लोप - (1) इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई कोई भी अनुज्ञप्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नही समझी जाएगी कि अनुज्ञप्ति में उसके मंजूर किये जाने के पूर्व की गई किन्हीं तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप हुआ है

(2) कौन सी तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप है इस बारे में आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा

31. अनुज्ञप्ति आदि रद्द या निलम्बित करने की शक्ति - (1) ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकेगा -

(क) यदि उसके धारक द्वारा देय कोई भी शुल्क या फीस सम्यक् रूप से संदत्त नहीं की गई है, या

(ख) यदि उसके धारक द्वारा या उसके किसी सेवक द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किन्ही भी निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी का भी भंग होने की दशा में; या

(ग) यदि उसका धारक या उसका कोई सेवक या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम या राजस्व सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का सं० 2) या इंडियन मर्चेन्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1899(1899 का सं ०4) या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं० 45) में पुनःस्थापित की गई है, किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ग) यदि उसका धारक किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ड.) यदि उसका धारक सागर-सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878(1878 का सं० 7) की धारा 167 के खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिये दण्डित किया गया है; या

(च) जहाँ कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 18 के अधीन अनुदत्त किसी पट्टे के धारक के आबेदन पर मंजूर किया गया है, वहाँ ऐसे पट्टेदार की लिखित अध्यपेक्षा पर; या

(छ) यदि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में ऐसा रद्दकरण या निलम्बन इच्छा- धीन होने का उपबन्ध है ।

[1] [(1-ए) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन या पास को रद्द या निलंबित करने वाला कोई आदेश करने के पूर्व, पूर्वोक्त प्राधिकारी प्रस्थापित कार्यवाही के कारण हसबद्ध करेगा, उसके धारक को उनका एक संक्षिप्त विवरण देगा तथा उसे सुनवाई का युक्ति-मुक्त अवसर देगा ।]

(2) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (ड). के अधीन रद्द कर दिया जाता है, वहां पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से सरित तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन ऐसे

व्यक्ति को मंजूर की गई किसी भी' अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या पास को रद्द कर सकेगा ।

(3) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र था पास का धारक उसके रद्दकरण या निलम्बन के लिये न तो किसी प्रतिकर का और न ही उसके सम्बन्ध में संदत्त की गई किसी फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार होगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के खण्ड क खण्ड (ख), खण्ड ग), और खण्ड के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित कर दी जाती है वहां-

(क) उस अतिशेष कालावधि के लिए जिसमें ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित न किये जाने की दशा में चालू रहती, देय फीस भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के तौर पर वसूल की जा सकेगी;

(ख) कलेक्टर अनुदान को अपने प्रबन्ध में ले सकेगा या भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी की जोखिम और हानि पर उसका पुनर्विक्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे प्रबन्ध या पुन- विक्रय से प्राप्त किया गया कोई भी लाभ, जो ऐसी कालावधि के लिये खण्ड क्य के अधीन वसूल की गई रकम से अधिक नही है, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाएगा ।

32. अनुज्ञप्तियां वापस लिए जाने की शक्ति–(1) जब कभी उस प्राधिकारी का, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की है यह विचार हो कि धारा 31 में विनिर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी भी कारण से ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाए, तो वह उसके सम्बन्ध में पन्द्रह दिन के लिये देय फीस के बराबर रकम की छूट देगा तथा या तो-

(क) ऐसा करने के अपने आशय की पन्द्रह दिन की लिखित सूचना की अवधि समाप्त हो जाने पर, या

(ख) सूचना के बिना तत्काल ।

ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड के अधीन कोई अनुज्ञप्ति वापस ले ली गई हो, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी पूर्वोक्त राशि की छूट देने के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी और राशि का ५यदि कोई है) संदाय करेगा, जैसा आबकारी आयुक्त निर्देशित करे ।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके सम्बन्ध में अग्रिम में संदत्त की गई कोई फीस या किये गये किसी निक्षेप का प्रति- दाय सरकार को शोध्य रकम (यदि कोई है) की कटौती करने के पश्चात् उसे कर दिया जायेगा ।

33. अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण- (1) इस अधिनियम के अधीन मादक द्रव्य का विक्रय करने के

लिये मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की जो, उसके द्वारा कलेक्टर को दी गई है । अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष अवधि के लिये जिसके लिये वह ऐसा अभ्यर्पण न किये जाने की दशा में चालू रहती, अनुज्ञप्ति के लिये देय फीस का संदाय किये जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर सकेगा:

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पित करने के लिये पर्याप्त कारण है तो वह अभ्यर्पण पर इस प्रकार देय राशि या उसके किसी भाग की छूट उसके धारक को दे सकेगा ।

(2) ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति के मामले में, जो धारा 18 के अधीन मंजूर की गई है, उपधारा लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में यथा प्रयुक्त शब्द "अनुज्ञप्ति का धारक' ' में वह व्यक्ति सम्मि- लित है जिसकी किसी अनुज्ञप्ति के लिये निविदा या बोली स्वीकार कर ली गई है, यद्यपि उसे वस्तुत: वह अनुज्ञप्ति प्राप्त न हुई हो ।

[1][33-क. (x x x x x x) विलुप्त]

अध्याय 7-अपराध और शास्तियां

[2][**34. अवैध आयात, आदि के लिए शास्ति**-जो कोई, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के उल्लंघन में-

(ए) किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण या संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा; या

(बी) उन मामलों में के सिवाय जिनके कि लिये धारा 38 में उपबन्ध किया गया है, कोई मादक द्रव्य बेचेगा; या

(सी) किसी भाँग पौधे (हेम्प प्लाण्ट) की खेती करेगा; या

(डी) ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी का च्चावन करेगा या ताड़ी निका- लेगा; या

(ई) किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाला का सन्निर्माण करेगा या उसे चला- येगा; या

(एफ) ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य कां विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिये किसी सामग्री,

भभका, पान उपकरण या सांधिव को उपयोग में लायेगा, रखेगा या अपने कब्जे में रखेगा; या

(जी) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई, स्थापित की गई या चलाई जा रही किसी आसवनी, मद्य निर्माण शाला या भाण्डागार से किसी मादक द्रव्य को हटायेगा; या

(एच) किसी मदिरा को बोतल में भरेगा;

[1][वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय हो:]

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध का द्वितीय बार या पश्चात्- वर्ती समय सिद्धदोष ठहराया जाये, 'तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम् की नहीं होगी किन्तु जो चौबीस मास तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

35.किसी (विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित) को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिये शास्ति-जो कोई-

(ए) किसी [1][विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित को इस आशय से परि- वर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्पिरिट का उपयोग, चाहे पेय रूप में या आन्तरिक रूप से औषध के रूप में, या किसी भी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से., मानवीय उपयोग के लिये किया जाये; या

(बी) अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रयत्न खण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट किये गये आशय से किया गया है;

2[(सी) विकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विकृत स्पिरिट को या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा;

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार पाँच सौ रुपये से

कम का नहीं होगा किन्तु जो छह हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा में, 'विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति' से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मिति जो विकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अन्तर्गत ऐसी स्पिरिट युक्त निर्मिति से बनी मदिरा, फेंच पालिश, वार्निश, और तरल द्राविक थिनर्स) आती है ।

36. अवैध कब्जे के लिये शास्ति-जो कोई, यह जानते हुए कि मादक द्रव्य का आयात, परिवहन, विनिर्माण खेती तथा संग्रह विधि-विरुद्धतया किया गया है, या यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, किसी मादक द्रव्य को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भी परिमाण में अपने कब्जे में रखेगा यह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

[1]**[36-क किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में का, के लिये या किसी भी ऐसे स्थान की देख-रेख उसका प्रबन्ध या नियन्त्रण रखने के लिये या ऐसे किसी स्थान के कारबार का संचालन करने को सहायता करने के लिये शास्ति**--जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंसूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में,-

(ए) किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लायेगा; या

(बी) सामान्य मदिरा पान-गृह के रूप में खोले गये, रखे गये या उपयोग में लाये गये किसी स्थान की देख-रेख उसका प्रबन्ध या नियन्त्रण रखेगा या ऐसे स्थान के कारबार का संचालन करने में किसी भी रीति में सहायता करेगा;

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

36-ख. किसी सामान्य मदिरा पान-गृह में मत्त पाये जाने के लिये या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिये पाये जाने के लिये शास्ति-जो कोई, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना, या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के उल्लंघन में, किसी सामान्य मदिरा पान-मुह में मत्त पाया जाये या मदिरा पान करता हुआ पाया जायेगा या मदिरा पान करने के प्रयोजन से वहाँ उपस्थित पाया जायेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो किसी सामान्य मदिरा पान गृह में उस समय पाया जायेगा जबकि वहां मदिरा पान चल रहा हो, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि वह वहाँ मदिरा पान करने के प्रयोजन से उपस्थित था ।

36.ग. किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो धारा 3 मै, धारा 35

धारा 36 या धारा 36-क के अधीन दण्डनीय है, किये जाने हेतु उपयोग में लाये जाने देने के लिये शास्ति- जो कोई, किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी होते हुये या उसका उपयोग या देख-रेख या प्रबन्ध या नियन्त्रण रखते हुये, उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध; जो कि धारा 34 धारा 35 या धारा 36 या धारा 3 ए, के अधीन दण्डनीय है किये जाने हेतु जानते हुये, उपयोग में लाए जाने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा । किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

36-घ. धारा 34 या धारा 36 के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिये बन्ध-पव फा निष्पादन- (1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 36 के अधीन दण्डनीय किमी अपराध का सिद्धदोष ठहराने वाले मजिस्टेरट का यह मत है कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि वह उन धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिये एक बन्ध-पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति पर दण्डादेश पारित करते समय यह आदेश कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा वह निदेशित करे, ऐसे अपराधों को करने से प्रविरत रहने के लिये उसकी आय के अनुपात के अनुसार राशि का प्रतिभुओं सहित या रहित एक बन्ध पत्र निष्पादित करे ।

(2) बन्ध-पत्र का प्रारूप और ऐसे बंध-पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का लागू होना-बन्ध-पत्र द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट प्ररूप में होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का सं 05) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू होते हुए, ऐसे बन्धपत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह शान्ति बनाये रखने के लिये उस संहिता की धारा 1०6 के अधीन निष्पादित किये जाने के लिये आदिष्ट बन्धपत है ।

(3) परिस्थितियाँ जिनमें बन्ध-पत्र शुन्य होगा-यदि अपील में या अन्यथा दोषसिद्ध अपास्त कर दी जाये, तो इस प्रकार निष्पादित बन्ध-पत्र शून्य हो जायेगा ।

(4) अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय की आदेश करने की शक्ति-इस धारा के अधीन, किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, जबकि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, भी आदेश किया जा सकेगा।

36-ङ मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये अपेक्षित करना कि सद्व्यवहार के बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिये उसे क्यों न आदिष्ट किया जाये-जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किये गये प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध को अभ्यासिक रूप से करता है, या करने का प्रयत्न करता है, या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न उसे तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जैसा मजिस्ट्रेट निदेशित करे, अपने सद्व्यवहार

हेतु प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करने के लिये आदिष्ट किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध का लागू होना- दण्ड प्रक्रिय' संहिता, 1898 (1898 का सं० 5) के उपबन्ध, जहाँ तक वे लागू होते हैं, उपधारा (1) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों को उसी प्रकार लागू होगे, मानों कि उसमें निदेशित बन्धपत्र उस संहिता की धारा 110 के अधीन निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्धपत्र हैं ।

[1] **[37. उन अपराधों के लिये शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं है**--जो कोई, किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे साक्ष्य कार्य लोप का, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम जारी की गई किसी भी अधिसूचना या दिये गये किसी भी आदेश के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में किया गया हो, और जिसके कि लिये इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, दोषी हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

38. अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यो के लिये शास्ति-(1) कोई अनुज्ञप्ति विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो-

(ए) कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मत्त या मदोन्मत्त हो, बेचेगा; या

(बी) कोई मादक द्रव्य किसी व्यक्ति को जो धारा 23 से उल्लंघन में बेचेगा या देगा; या

(सी) धारा 22 के उल्लंघन में, उस धारा में निर्दिष्ट किये गये अपने अनुज्ञप्त परिसर के किसी भाग में किसी पुरुष या स्त्री को नियोजित करेगा या नियोजित किये जाने की अनुज्ञा देगा; या

(डी) किन्ही ऐसे व्यक्तियों को, जिनके कि बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे किसी अजमानतीय अपराध के सिद्धदोष ठहराये गये हैं, या जो वेश्याएँ हैं, ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर में आश्रय लेने या जमा होने के लिये, चाहे ऐसा आशय लेना या जमा होना अपराध के या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये हो या न हो, अनुज्ञात करेगा; वह जुर्माने से जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा; दण्डनीय होगा ।

[1] [(2) जहाँ किसी अनुज्ञप्त विक्रेता, या उसके नियोजन में के और उसकी-अओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसे विक्रेता के परिसर में मत्तता अनुज्ञात करने का आरोप है, और यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर में मत्त था, तो यह साबित करने का कि ऐसे परिसर में मत्ता को रोकने के लिये अनुज्ञप्त विक्रेता ने और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों ने समस्त युक्ति-युक्त उपाय किये थे, भार उस व्यक्ति पर होगा जिस पर आरोप लगाया गया है ।]

[2] **[38-ए. मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाहय् संघटक था कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने देने के लिये शास्ति--**यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा विनिर्मित किये गये, बेचे गए या विक्रय के लिये रखे गये या अभिदर्शित किये गये किसी मादक द्रव्य में अनुज्ञप्ति में, यथाविहित के अलावा कोई अपायकर औषधि या कोई बाल संघटक अथवा कोई मंदक या रंजित मिश्रित करेगा या मिश्रित करने देगा अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसा मादक द्रव्य होगा जिसमें कि ऐसा अपमिश्रण किया गया हो, वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये से कम का नही होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

39. अनुज्ञप्तिधारियों आदि द्वारा अवचार किया जाने के लिये शास्ति-इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत या पास का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो-

(ए) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर या ऐसी माँग करने के लिये सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या पास साशय पेश नहीं करेगा; या

(बी) धारा 34 द्वारा उपबन्धित किसी मामले में के सिवाय, धारा 62 के अधीन बनाये गए किसी नियम का साशय, उल्लंघन करेगा; या

(सी) अनुज्ञप्तित अनुज्ञापत्र या पास की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग करते हुये कोई भी ऐसा कार्य, जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंन्धित नहीं है, साशय करेगा |

वह (ए) के मामले में जुर्माने से, जो चार सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा (बी) या (सी) के मामले में जुर्माने से, जो (दस हजार) रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

40. रसायन (केमिस्ट) आदि की दूकान में उपयोग करने की अनुज्ञा देने के लिये शास्ति-(1) कोई भी रसायनज्ञ (केमिस्ट) भेषजिक ड्रगिस्ट) अतार एम्पाधिकारी) या औषधात्रय चालन वाला, जो किसी ऐसे मादक द्रव्य को, जो औषधीय प्रयोजनों के लिये सद्भाव- पूर्वक औषधियुक्त न किया गया हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उसके कारबार में नियो- जित न हो, अपने कारबार के परिसर में उपयोग किये जाने की अनुज्ञा देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा; या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) पूर्वोक्त रूप में नियोजित न हुआ कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे किसी मादक द्रव्य का उपयोग ऐसे

परिसर पर करेगा; वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

[1][**40-क. अधिकारी आदि को बाधा पहुँचाना या उस पर हमला करने के लिये दण्ड - जो कोई--**

(ए) किसी आबकारी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या

(बी) इत्तिला देने वाले किसी व्यक्ति या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति का, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, हमला करेगा या उसे बाधा पहुँचायेगा, वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।]

41. किसी अन्य व्यक्ति के मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा-(1) जहां किसी अन्य व्यक्ति के मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, या विक्रय किया जाता है या उसे कब्जे में रखा जाता है, और ऐसे अन्य व्यक्ति को यह ज्ञान है या यह विश्वास करने का कारण है, कि ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसके मद्दे था ऐसा कब्जा उसके गृह है तो ऐसा मादक द्रव्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित या विक्रीत किया गया या कब्जे में रखा गया समझा जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, जो किसी दूसरे व्यक्ति के महे किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, विक्रय करता है या उसे कब्जे में रखता है, ऐसे मादक द्रव्य के विधि-विरुद्ध विनिर्माण, विक्रय या कब्जे के लिये इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी ।

42. अपराध करने का प्रयत्न और अपराध का दुष्प्रेरण-जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा; वह ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित दण्ड का दायी होगा ।

43. कतिपय मामलों में अपराध किये जाने के बारे में उपधारणा-धारा 34, घारा 35 तथा धारा 36 के अधीन अभियोजनों में, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाये यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त व्यक्ति में-

(क) किसी मादक द्रव्य; या

(घ) ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के लिये किसी के पात्र, उपकरण, या साधित, चाहे जो भी ही, या

(ग) किसी भी ऐसी सामग्री, जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये किन्ही प्रक्रियाओं से गुजरी है, या जिससे किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण किया गया है; के संबध में, जिसके कब्जे के लिये संतोषजनक रूप में लेखा-जोखा देने में वह असमर्थ है, उस धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है ।

44. सेवकों के कार्य के लिये अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व-जहां इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के धारक के नियोजन में के और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 34, धारा 35 धारा 36, धारा 36-ए, धारा 38 धारा 38-ए या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, वहां ऐसा धारक भी उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो उसने स्वंय वह अपराध किया है, जब तक वह यह सिद्ध न करदे कि उसके द्वारा ऐसे अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् और युक्ति-युक्त पूर्वावधानियां बरती गई थी :

परन्तु वास्तविक अपराध से भिन्न कोई भी व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ही कारावास से दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं ।

45. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् बर्धित दण्ड--यदि कोई व्यक्ति धारा 34 धारा 35, धारा 36. धारा 3 ए, धारा 3 बी, धारा 3 सी या धारा 40 के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के तत्पधानी उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का पूर्व में सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् उनमें से किन्ही भी धाराओं के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को तत्पश्चात् करे और उसको सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित किये जा सकने वाले दण्ड के दुगने दण्ड का दायी होगा

[1] [परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे अपराध का जिसका कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय 21 के अधीन अन्यथा संक्षेपतः विचारण किया जा सकता हो, इस प्रकार विचारण किये जाने का निवारण नहीं करेगी ।]

46. कतिपय वस्तुओं के अधिहरण का दायित्व-(1) जब कभी कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है किया जाता है तो वह मादक द्रव्य, सामग्री, भभका, पाव, उपकरण या साबित जिसकी बाबत् या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है, अधिहरण के दायी होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिहरण के दायी किसी मादक द्रव्य के साथ या उसके अतिरिक्त बिधिपूर्वक आयात, परिवहन, विनिर्मित किया गया, कब्जे में रखा गया था विक्रीत कोई मादक तथा कोई भी पाव, पैकेज और आवेष्टक जिसमें कोई भी ऐसा उपर्युक्त मादक द्रव्य सामग्री, भभका, पाव उपकरण या साधित पाया जाये या वे पाये जाएँ और पात्रों या पैकेजों की ऐसी अन्य अर्न्तवस्तुये यदि कोई है, जिनमें वह पाया जाय या वे पाये जाएँ तथा उनको ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा या अन्य प्रवहण भी उसी प्रकार अधिहरण के दायी होंगे :

परन्तु कोई भी पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा या अन्य प्रवहण अधिहरण के दायी नहीं होंगे, यदि यह साबित हो जाये कि वे उस अपराधी की सम्पत्ति नहीं है और उसका स्वामी यह सिद्ध करदे कि उसके पास यह विश्वास करनें का कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या उसके किये जाने की संभावना थी।

47. अधिहरण के आदेश - (1) जहाँ मजिस्ट्रेट अपने द्वारा विचारण किए गए किसी कानून में यह विनिश्चिय करे कि कोई वस्तु धारा 46 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, तो वह या तो अधिहरण के लिए आदेश दे सकेगा या अधिहरण के लिए दायी वस्तु के स्वामी को, यह विकल्प दे सकेगा कि वह अधिहरण के बदले ऐसे जुर्माने या संदाय करे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे ।

(2) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो, किन्तु अपराधी ज्ञात न हो या पाया न जा सके, ऐसे मामले की जांच कलेक्टर द्वारा की जाएगी और उसका अबधारण किया जाएगा, जो अधिहरण का आदेश दे सकेगा:

परन्तु अधिहरण के लिए आशीयत वस्तु के अधिहरण किए जाने की तारीख से एक मास का अवसान हो जाने तक या किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जो उसके सम्बन्ध में किसी अधिकार का दावा करता है, सुनवाई किये बिना तथा ऐसा साक्ष्य (यदि कोई है) जिसे वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, लिये बिना ऐसा आदेश नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और भी कि यदि प्रश्नगत वस्तु शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है, या यदि कलेक्टर की यह राय है कि उसका विक्रय उसके स्वामी के हित में होगा, तो कलेक्टर किसी भी समय उसके विक्रय किए जाने का निर्देश दे सकेगा, और इस धारा के उपबन्ध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को यथाशक्य निकटतम साध्य रूप में लागू होंगे ।

48. अपराधों के शमन करने की शक्ति- [1][(1) कलेक्टर

(ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 31 के खण्ड ए) तथा (बी) के अधीन रह किये जाने या निलम्बित किये जाने के दायित्वाधीन हो, या जिसके कि बारे में युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने धारा 37, धारा 38 धारा 3 ए (उस मामले में के सिवाय जिसको कि उस धारा का परन्तु लागू होता है) या घारा 39 के अधीन कोई अपराध किया है, यथास्थिति एसे रद्दकरण या निलम्बन के बदले में या ऐसे अपराध के समन के रूप में दस हजार रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा, या शक्ति के रूप में दस हजार रुपये से अनधिक धनराशि अधिरोपित कर सकेगा और दोनों में से किसी भी मामले में, उन वस्तुओं के जो अभिगृहीत की गई हों, अधिहरण किये जाने के आदेश दे सकेगा, और

(बी) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें की कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिये दायी होने के कारण अभिगृहित कर ली गई हो, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किया जाने के पूर्व, किसी भी समय. उस सम्पत्ति को, उसके ऐसे मूल्य का, जो कि कलेक्टर द्वारा प्राक्कलित किया गया हो, भुगतान कर दिया जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा ।

(2) कलेक्टर को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि., या ऐसे मूल्य या दोनों का संदाय कर दिया जाने पर. अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायगा, अभिगृहीत सम्पत्ति (यदि कोई है) निर्मुक्त कर दी जायगी, और ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध कोई और कार्यबाहियाँ नहीं की जायेगी ।

49. तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों पर शास्ति- कोई भी आबकारी अधिकारी या पुलिस भू-राजस्व विभाग का अधिकारी या धारा 52 के अधीन सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति, जो तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से -

(क) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग करने का आभास कराकर प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश कराता या तलाशी लिवाता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिये दायी किसी भी वस्तु के अभिग्रहण या तलाशी के बहाने किसी व्यक्ति को जंगम सम्पत्ति का अभिग्रहण करता है; या

(ग) किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध रखता है, उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय 7-क-जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति

49.क. मनवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दण्ड–(1) जो कोई-

(क) किसी मदिरा का आयात; निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रह करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोतलों में भरेगा, या बेचेगा, या

(ख) किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्पिरिट का विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या औषधि के तौर 'पर आन्तरिक रूप से या किसी अन्य रूप में या किसी अन्य तरीके से; मानवीय उपयोग के लिये किया जाय, या

(ग) अपने कब्जे में स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित रखते हुए, उसकी बाबत वह; साशय या जानते हुये किसी अन्य व्यक्ति को कोई स्पिरिट विकृत स्पिरिट में या किसी विकृत

स्पिरिटयुक्त निर्मित में परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए; जो दोनों में से किसी भी दशा में खण्ड विनिर्दिष्ट आशय से हो, अनुज्ञात करेगा या जानते हुए उसे ऐसा करने देगा; या

(घ) विकृत स्पिरिट को या ऐसा परिवर्तित विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा, और यथास्थिति ऐसी मदिरा, विकृत स्पिरिट, विकृत स्पिरिट युक्त निर्मित, स्पिरिट या परिवर्तित विकृत स्पिरिट मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है या वह मनुष्य को क्षति पहुँचाती है या उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह-

उस स्थिति में जबकि यथास्थिति ऐसी मदिरा विकृत स्पिरिट; विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति स्पिरिट या परिवर्तित विकृत स्पिरिट-

(एक) मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है-	कारावास से जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;
(दो) मनुष्य को क्षति पहुंचाती -	कारावास से जो दो मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;
(तीन) मनुष्य की मृत्यु कारित करती है -	कारावास से जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(दो) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष में-

(क) **उपधारा (2) के खण्ड (एक) के अधीन**	कारावास से जो छह मास से कम का नहीं अधीन- होगा किन्तु जो चार वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;
(ख) **उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन-**	कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा; और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;
(ग) उपधारा (2) के खण्ड तीन के अधीन-	आजीवन कारावास से या एसे कारावास से, जो पाँच वर्ष से कम का नहीं कारावास से, जो पाँच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

49-ख. इस धारा के अधीन अपराधों के लिए जमानत मंजूर नहीं की जाएगी-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं० 2) में या धारा 59 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी-

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर धारा 49क के अधीन के अपराध का अभियोग लगाया गया है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए कोई आवेदन किसी न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिस पर धारा 49-क के अधीन के अपराध का अभियोग लगाया गया है, जमानत के लिए कोई आवेदन मंजूर नहीं किया जायेगा यदि अभियोजन पक्ष द्वारा उसका विरोध किया गया हो:

परन्तु कोई भी न्यायालय मजिस्ट्रेट, अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का एक सौ बीस दिन से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, और ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर, उस दशा में जब कि रिपोर्ट या परिवाद फाइल नहीं किया जाता, अभियुक्त को, यदि वह जमानत देने के लिये तैयार है और जमानत दे देता है, तत्काल छोड दिया जायेगा ।

अध्याय 8 -अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण तथा विचारण

50. भू-धारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इत्तिला का दिया जाना- जब कभी किसी भूमि पर, इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई मादक द्रव्य विनिर्मित या संगृहीत किया जाए या भांग पौधे (हेम्प प्लॉट) की खेती की जाय तब-

(क) ऐसी भूमि का कोई स्वामी या अधिभोगी और ऐसे स्वामी या अधिभोगी का कोई अभिकर्ता, और

(ख) समस्त ग्राम मुखिया, ग्राम लेखपाल, ग्राम चौकीदार, और ग्रामों में सरकार का प्रतिपाल्य अधिकरण की ओर से भूमि के राजस्व या लगान का संग्रहण करने के लिए नियोजित समस्त अधिकारी;

युक्तियुक्त कारण के अभाव में इस बात के लिये आबद्ध होंगे कि उस तथ्य की सूचना उन्हें उसकी जानकारी प्राप्त होते ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को यथाशीघ्र दें ।

51. विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति- आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या कोई भी आबकारी अधिकारी को ऐसी पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विहित करे, या उस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी पुलिस अधिकारी -

(क) किसी भी ऐसे स्थान में जिसमें किसी भी अनुज्ञप्त विनिर्माता द्वारा किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण किया जाता है, दिन या रात में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा, और

(ख) किसी भी ऐसे स्थान में, जहाँ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी मादक द्रव्य विक्रय के लिएं रखा जाता है, उन घण्टों में किसी भी समय जब कि विक्रय अनुज्ञात हो और किसी ऐसे अन्य समय में जब कि वह खुला हो, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा, और

(ग) लेखाओं तथा रजिस्टरों का परीक्षण कर सकेगा और ऐसे स्थान में पाये गये किन्हीं सामग्रियों, भभके, पात्रों, उपकरणों, साधितों का या किसी मादक द्रव्य का परीक्षण, जाँच, माप या तौल कर सकेगा ।

52. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने, अधिहरण के लिये दायी वस्तु का अभिग्रहण करने तथा तलाशी लेने की शक्ति- (1) कोई भी आबकारी अधिकारी, या कोई भी पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, या इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किया गया भू-राजस्व विभाग का कोई भी एक अधिकारी या अधिकारियों का वर्ग, ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार विहित करे तथा इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति--

[1][(ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो [2] [धारा 23 ए, धारा 34] धारा 35 धारा ।
36, धारा 36 ए, धारा 3 -बी, धारा 3 -सी, या धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध करता पाया जाय, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, और

(बी) किसी मादक द्रव्य या अन्य वस्तु का, जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अभि- ग्रहण कर सकेगा तथा उन्हें निरुद्ध कर सकेगा, और
(सी) किसी भी व्यक्ति को जिस पर, तथा किसी भी जलयान, बेड़ा, यान, पशु, पैकेज, पात या आवेष्टक जिसमें या जिस पर किसी ऐसी वस्तु होने के सन्देह का उसके पास युक्तियुक्त कारण है, निरुद्ध कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त है या जिस पर किसी अपराध को करने का युक्तियुक्ति रूप से सन्देह है, तथा जो ऐसे अधिकारी के पूछने पर अपना नाम तथा निवास स्थान बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम तथा निवास स्थान बताता है जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का ऐसे अधिकारी के पास कारण है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा ताकी उसका नाम और निवास स्थान अभि- निश्चित किया जा सके ।

[1] [**53. वारण्ट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति**--यदि मजिस्ट्रेट इत्तिला मिलने पर या ऐसी जांच

यदि कोई हो करने के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि धारा 34, धारा 35 धार 36, धारा 36ए, धारा 36बी, धारा -36सी, धारा 37, धारा 38 धारा 38 ए, धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या किये जाने की संभावना है, तो वह-

(क) किसी भी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि कोई भी मादक द्रव्य, भभका, पाल, उपकरण, आले या सामग्रियां, जो ऐसे अपराध के करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या जिनके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभा- वना है, रखी गई है या छिपाई गई है; और

(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरपतारी के लिये, जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी ऐसे अपराध के करने में लगा रहा है, लगा है, या उसके उसमें लगने की संभावना है, वारण्ट जारी कर सकेगा ।

54. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति-जब कभी, ऐसी श्रेणी से, जिसे की शासन अधिसूचना द्वारा विहित करे, अनिम्न श्रेणी के किसी भी आवकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36 ए, धारा 36 -बी, धारा 36 -सी, धारा 37, धारा 38, धारा 38 ए, धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या किये जाने की संभावना है और यह कि तलाशी वारंट अपराधी को निकल भागने का या अपराध के सम्बन्ध में साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह, अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्-

(ए) किसी भी समय, दिन में या रात में, किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा और उसमें पाई गई किसी भी ऐसी वस्तु को अभि- गृहीत कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन समपहरणीय है;

(बी) ऐसे स्थान पर पाये गए किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथा पूर्वोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो उसे गिरपतार कर सकेगा ।

54-क. बाधा पहुँचाने या हमला करने के लिये वारंट के बिना गिरफ्तारी -कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का न हो, जो राज्य सरकार, अधि- सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्य का निष्पादन करने में उसे बाधा पहुँचाये या उस पर हमला करे, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा -

परन्तु इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रत्येक की जमानत, गिरपतार करने वाले

व्यक्ति द्वारा ली जायेगी यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस या आबकारी अधिकारी के समक्ष उसकी उपसंजाति के लिए पर्याप्त जमानत निविदत्त कर दी जाये ।

55. अन्वेषण के विषयों में आबकारी अधिकारियों की शक्ति-[1][(1) ऐसे पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का तथा ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित करे, कोई भी आबकारी अधिकारी धारा 34, धारा 35 धारा 36, धारा 36 ए, धारा 38ए, धारा 39 धारा 40 तथा धारा 40-ए के अधीन के अपराधों के सम्बन्ध में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय 12 के उपबन्ध द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त की गई है :

परन्तु कोई भी ऐसी शक्ति ऐसे निबन्धनों तथा उपान्तरणों (यदि कोई हों) के अध्यधीन होगी जैसे कि राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करें ।

(2) उक्त संहिता के धारा 156 के प्रयोजनों के लिये वह क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में किसी आबकारी अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, पुलिस थाना समझा जायेगा और ऐसा अधिकारी उस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जायेगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई भी ऐसा अधिकारी, मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के बिना तथा उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों से, इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध, जिसका उसने अन्वेषण किया है, या जो उसको प्रतिवेदित किया गया है, से सम्बद्ध या जिसके सम्बद्ध होने का अनुमान है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्यवाहियों को रोक सकेगा ।

[1][**55-क. अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट-**यदि धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन सशक्तँ किए गए किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया जाने पर यह प्रतीत हो कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तो अन्वेषक अधिकारी जब तक कि वह धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही न करे, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए उस न्यायिक मजिस्टेरट को की गई पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा जो कि उस मामले की जांच करने या उसका विचारण करने की अधिकारिता रखता हो तथा [2][पुलिस रिपोर्ट] पर अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त हो ।

56. आबकारी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट-जहाँ कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी करता है; वहां वह ऐसी गिरफतारी, अभिग्रहण या तलाशी के पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को करेगा, और जब तक कि धारा 59 के अधीन जमानत प्रतिगृहित न करली जाए, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, या अभिगृहीत की गई चीज को विचारण या न्याय निर्णयन के लिए, सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से किसी न्यायिक मजिस्टेरट के समक्ष ले

जाएगा या भेजेगा ।

56.क. पुलिस अभिगृहीत वस्तुओं को प्रभार में लेगी--किसी पुलिस थाने का भार- साधक कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त वस्तुओं को, जो उसे परिदत्त की जाएं, अपने प्रभार में लेगा और किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी अधिकारी के आदेश के लम्बित रहने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी भी आबकारी अधिकारी को, जो पुलिस थाने में ऐसी वस्तुओं के साथ आया हो या जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए, इस बात की अनुशा देगा कि वह ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाए तथा उनके या उनमें से नमूना ले । इस प्रकार लिए गये समस्त नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मुद्रा से मुद्रांकित किये जायेंगे ।

[1][**57. गिरफ्तारी, तलाशियां आदि किस प्रकार की आयेंगी-**इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के वे उपबन्ध जो गिरफ्तारियों, अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने तलाशियों, सम्मनों, गिरफ्तारियों के वारण्टों, तलाशी वारण्टों, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को पेश करने, तथा अभिगृहीत की गई चीजों के व्ययन से सम्बन्धित है. यथाशक्य उन समस्त कार्यवाहियों को लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में की गई हों ।

[1][**58. वारंट के बिना गिरपतारी के मामले में उपसंजाति के लिये प्रतिभूति-** 1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त. अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अर्थ के अन्तर्गत जमानतीय होंगे ।

(2) जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जिसे गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार नहीं है, इस अधिनियम के अधीन वारंट द्वारा न होकर अन्यथा गिरफ्तार किया जाता है; तब उसे- -

(क) निकटतम ऐसे आबकारी अधिकारी के समक्ष, जिसे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार है; या

(ख) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष जो भी अधिक निकट हो, पेश किया या भेजा जाएगा ।

(3) जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन वारंट द्वारा न होकर अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, जमानत देने के लिये तैयार हो, और उस अधिकारी द्वारा, जिसे गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार है, गिरफ्तार किया गया है, या उपधारा (2) के अनुसार उसके समक्ष पेश किया गया है, तब वह उसे जमानत पर छोड़ देगा या छोड़ने वाले अधिकारी के विवेकानुसार -उसे स्वयं के बन्धपत्र पर छोड़ा जाएगा ।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 441 से 444 तक के तथा धारा

446 एवं 449 के उपबन्ध यथाशक्य ऐसे प्रत्येक मामले में लागू होंगे जिसमें इस धारा के अधीन जमानत प्रतिण्हीत कर ली जाए या बन्धपत्र ले लिया जाए ।

59. [2][X X X X X X X X X] विलुप्त

60. अभियोजनों का निर्बन्धन-[4][(1) कोई भी न्यायालय--

(क) धारा 37 धारा 38, धारा 38 ए, धारा 39 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, कलेक्टर के जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, परिवाद या रिपोर्ट पर ही; और

(ख) इस अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर ही, करेगा, अन्यथा नहीं ।]

(2) राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के सिवाय, कोई भी न्यायिक मजिस्टेरट इस अधि- नियम या उसके अधीन के किसी नियम या आदेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, तब तक नही करेगा जब तक कि अभियोजन उस तारीख से, जिसको कि उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर संस्थित न किया गया हो ।

61. राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त व्यक्ति को क्षमादान-जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए, तब अपराध की जाँच या बिचारण करने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग का मजिस्टेरट ऐसे कारणों से, जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस शर्त पर अपादान कर सकेगा, कि वह अपराध से सम्बन्धित समस्त तथ्यों कां पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे ।

अध्याय 9-प्रकीर्ण

62. नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए निथम बना सकेगी-

(क) आबकारी अधिकारियों की शक्तियाँ और कतंव्य विहित करने;

(ख) धारा 7 के खण्ड (छ) के अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्हीं भी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रत्यायोजन का विनियमन करने;

(ग) इस अधिनियम के उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अधीन चाहे मूलत: या अपील में पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध अपील किन मामलों में या मामलों क किन वर्गो में तथा किन प्राधिकारियों को की जायेगी या किन प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण, किया जा सकेगा; घोषित करने और अपीलों और पुनरीक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए समय और रीति, तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही विहित करने;

(घ) किसी भी मादक द्रव्य के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, प्रदाय, या भण्डारकरण को या भांग के पौधे की खेती का विनियमन करने तथा अन्य विषयों के साथ-साथ ऐसे नियमों द्वारा-

(एक) ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों से च्यावन, ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने, उन्हें चिन्हित करने तथा ऐसे चिन्हों का अनुरक्षण करने का विनियमन किया जा सकेगा;

(दो) उस प्रक्रिया को घोषित कर सकेगी, जिसके द्वारा स्पिरिट को विकृतिकरण अभिनिश्चित किया जायेगा;

(तीन) अभिकरण के माध्यम से या अपने स्वयं के अधिकारियों के पर्यवेक्षण के

[1] [(घ-1) सम्पूर्ण राज्य में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, महुआ, के फूलों का आयात, निर्यात, परिवहन, संग्रह, कब्जा, प्रदाय, भण्डारकरण या विक्रय का विनियमन करने, उनके लिये अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञा पत्र विहित करने;

(ड़) उन कालावधियों तथा स्थानों का, जिनके लिये तथा उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को विनियमित करने जिन्हें किसी भी मादक द्रव्य के थोक या फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञप्तियां प्रदान की जायेंगी तथा ऐसी अनुज्ञप्तियों की संख्या को विनियमित करने, जो किसी स्थानीय क्षेस के लिये प्रदान की जायेगी;

(च) किसी भी स्थान में ऐसे विक्रय के लिये किसी अनुज्ञप्ति के प्रदान किये जाने के पूर्व अनुसरण की जाने बुाली प्रक्रिया तथा अभिनिश्चित किये जाने वाले विषय विहित करने;

[2] [छ) किसी शुल्क या फीस या कर या शास्ति की रकम, उसके संदाय के समय, स्थान तथा रीति का विनियमन करना;]

(ज) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, वह प्ररूप जिसमें, और वे निर्बन्धन तथा शतें जिन पर, तथा जिनके अध्यधीन न कोई भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास प्रदान किया जायेगा, विहित करने

तथा अन्य नियमों के साथ-साथ ऐसे नियमों द्वारा-

(एक) ऐसी कालावधि जिसमें कोई भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पल या पक्ष प्रवृत्त बना रहेगा, नियत करना;

(दो) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के सम्बन्ध में फीसों का भुगतान या देय फीस नियत करने की रीति विहित करना;

(तीन) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारकों द्वारा उनकी शर्तों के पालन के लिये निक्षिप्त की जाने वाली प्रतिभूति की रकम विहित करना;

(चार) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों को विहित करना; और

(पांच) अनुज्ञप्तियों में भागीदारी का या उनके अन्तरण का प्रतिषेध या विनियमन करना;

(झ) स्थानीय जनमत अभिनिश्चित करने के उपाय विहित करना तथा सलाहकार समितियों की नियुक्तियों के लिए उपबन्ध करना और उनकी शक्तियों तथा कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) उपयोग के लिये अनुपयुक्त समझे गये किसी भी मादक द्रव्य को नष्ट करने या अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए उपबन्ध करना;

(ट) अधिहत वस्तुओं के व्ययन का विनियमन करना;

(ठ) साक्षियों के व्ययों को मंजूर करने तथा ऐसे व्यक्तियों को, जौ इस अधिनियम के अधीन अपराधों से आरोपित है तथा तत्पश्चात् निर्मुक्त, उन्मोचित या दोषमुक्त किये गये हैं, प्रतिकर दिये जाने को विनियमित करना; और

(ड) साक्षियों को किसी दूर स्थान से समन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति का विनियमन करना ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उप-धारा 2 (क), (ख), (ग), (ड़), (च), (झ), (ठ), तथा (ड) के अधीन बनाये गये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायेंगे

परन्तु कोई भी ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाये जा सकेंगे यदि राज्य सरकार का यह विचार है कि उन्हें तत्काल प्रवृत्त किया जाना चाहिये ।

63. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन -इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गई अधिसूचनायें राजपत्र में प्रकाशित की जायेंगी, और वे ऐसे प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जैसा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावशील होंगी ।

64. सरकारी शोध्यों की वसूली.- 1) निम्नलिखित धन, अर्थात्-

(क) समस्त आबकारी राजस्व;

(ख) किसी व्यतिक्रम के परिणामस्परूप कलेक्टर द्वारा किसी अनुदान को अपने प्रबन्ध के अधीन ले लिये जाने या उसके द्वारा उसका विक्रय किये जाने के कारण प्रोद्भूत कोई हानि; और

[1] [(ग) संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का सं० 9) की धारा 74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसी समस्त रकमें, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अनुसार, आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी. संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हो; और वह समस्त रकम जो किसी ऐसे बन्ध पन या लिखत की शर्तो का भंग होने पर चुकाई जाना हो जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई कर्त्तव्य या कार्य करने के लिये स्वयं को आबद्ध करता है या यह वचनबद्ध करता है कि वह और उसके सेवक और अभिकर्ता कोई कार्य से प्रविरत रहेंगे ।

उस व्यक्ति से, जो प्राथमिकत: उसके संदाय के लिये है, या उसके प्रतिभू (यदि कोई है) से उसकी जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-धारक से भू-राजस्व की वसूली की किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा या भूमि के कृषकों या उनके प्रतिभूकी से वसूल कर सकेगा ।

(2) जब कोई अनुदान कलेक्टर द्वारा अपने प्रबन्ध के अधीन ले लिया जाये, या उसके द्वारा उसका पुन: विक्रय कर दिया जाये, तो कलेक्टर पट्टेदार या समनुदेशिती से व्यतिक्रमी को शोध्य कोई भी धन उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत किसी भी रीति में वसूल कर सकेगा ।

65. व्यतिक्रमियों की सम्पत्ति पर सरकार का धारणाधिकार-इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त या पट्टा धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, उसकी समस्त आसवनी, मद्यनिर्माण शाला या भाण्डागार या दूकान, भवन, फिटिंग्स या साधित तथा किसी भी आसवनी, मद्यनिर्माण शाला, भाण्डागार या दूकान के परिसरों में या उन पर धारित मादक द्रव्य का समस्त स्टाक या उसके विनिर्माण की सामग्रियों, आबकारी राजस्व के किसी भी दावे की या ऐसे व्यतिक्रम के द्वारा सरकार द्वारा उपगत किन्हीं भी हानियों के किसी दावे की तुष्टि में कुर्क किये जाने और ऐसे दावे की तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने के दायी होंगे, जो विक्रय के आगमों पर प्रथम भार होगा ।

66. व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को अधिनियम के उपबन्ध से छूट देने की शक्ति-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या तो पूर्णत: या भागत: तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो वह विहित करना ठीक समझे, किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी भी मादक द्रव्य को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त या किन्हीं भी नियमों से, या तो सम्पूर्ण राज्य में या उसमें समाविष्ट किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट कालावधि या अवसर

के लिये पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगी ।

67. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण-इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशायित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

68. वादों की परिसीमा-सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी, पुलिस या राजस्व अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी किसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गई हो या जिसका उसके द्वारा इस प्रकार किया जाना अभिकथित रहा हे_;- कोई भी वाद नहीं चलाया जायेगा, जब तक परिवादित कार्य की तारीख से छह मास के भीतर ऐसा वाद संस्थित न किया गया हो ।

69. अधिनियमितियों का निरसन-अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों को, एतद्द्वारा, उस सीमा तक निरसित किया जाता है जो अनुसूची के कालम चार में विनिर्दिष्ट की
गई है।

प्रथम-अनुसूची

वर्ष	**क्रमांक**	**संक्षिप्त नाम**	**निरसन की सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)
1863		उत्पाद-शुल्क (स्पिरिट) अधिनियम, 1863	उस सीमा तक, जहां तक की ऐसा निरसन नहीं हुआ है ।
1894	8	दी इण्डियन टेरिफ ऐक्ट, 1894	धारा 6
1896	12	दी एक्साइज ऐक्ट, 1896	उस सीमा तक, जहाँ तक कि ऐसा निरसन नहीं हुआ है ।
1906	7	एक्साइज (अमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, 1906	सम्पूर्ण

द्वितीय-अनुसूची
[धारा 3-घ देखिये]
सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एक्साइज ऐक्ट, 1915 की धारा 34
तथा धारा 36 के अधीन अपराधों को करने से
प्रविरत रहने के लिये बन्ध-पत्र

यत: मैं... ... ...(नाम) (स्थान) ... ... का निवासी जिससे यह अपेक्षित किया गया है कि... ... ... अवधि के लिये सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार ऐक्ट, 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन अपराधों को करने से प्रविरत रहने हेतु बन्ध-पत्र लिख दूँ ।

अत: मैं उक्त अवधि के दौरान कोई ऐसा अपराध न करने के लिये एतद्द्वारा, अपने को आबद्ध करता हूँ और इसमें व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, एतदद्वारा अपने को इस बात के लिये आवद्ध करता हूँ कि.....?... .... रुपये की राशि राज्य सरकार को समपहत हुए जायेगी ।
तारीख... ... ... सन् 19 ....
हस्ताक्षर

जहां बंधपन प्रतिभूओं सहित निष्पादित किया जाना है वहां उसमें निम्नलिखित को जोड़ा जाए-
हम (1) (नाम) ... ...जो
(स्थान) ... ... निवासी
तथा (2) (नाम) ... ...
जो (स्थान)... ... ...के निवासी है,
उपरिनामित ... ...

(बन्धपत्र निष्पादनकर्ता का नाम) के लिये अपने को इस हेतु प्रतिभू घोषित करते है कि वह उक्त अवधि के दौरान सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार ऐक्ट, 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन हम स्वयं को एतद्द्वारा संयुक्तत: और पृथकत: इस बात के लिये आबद्ध करते हैं
कि... ... … … रूपये की राशि राज्य सरकार को समपहत हो जायेगी ।
तारीख... … … सन् 19

हस्ताक्षर